"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-9/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	एक. हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.	संचालक उद्यानिकी द्वारा नाम निर्देशित— 1. संयुक्त संचालक, उद्यानिकी—अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				दो. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था, शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से:— (क) **हिन्दी शीघ्रलेखक**— हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी). (ख) **अंग्रेजी शीघ्रलेखक**—अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी). (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक**— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी.) तीन. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी).	2. उप संचालक, उद्यानिकी—सदस्य 3. संचालक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा—सदस्य
2.	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	एक. **हायर सेकेण्डरी परीक्षा या** (10+2) उत्तीर्ण, **या पुरानी प्रणाली से** हायर सेकेण्डरी **के साथ ही किसी** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए. दो. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना **चाहिए; तथा**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				तीन. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिये (गति के लिये कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी).	
3.	वाहन चालक/ ट्रेक्टर चालक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	एक. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए. दो. वैध चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए तथा हल्का मोटरयान/ट्रेक्टर चालन का अनुभव."	

Raipur, the 24th June 2013

NOTIFICATION

No. F 3-9/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Horticulture Ministerial Service Recruitment Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namley :—

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

S. No.	Name of the Service/ Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Steno-grapher	18 year	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	I. Should have passed Higher Secondary Examination or (10+2), or Passed old system Higher Secondary, with 1st year Graduation course from any recognised University. II. From Shorthand and Typing Council recognized Board/ Institution :— (a) **Hindi Stenographer**— Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively. (Skill test shall be taken for speed).	Nominated by Director Horticulture— 1. Joint Director, Horti-culture—President 2 Deputy Director Horti-culture—Member 3. One member nominated by Director who shall be of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(b) **English Stenographer**— Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively. (Skill test shall be taken for speed).	
				(c) **Bi-lingual Stenographer**— Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer (Skill test shall be taken for speed).	
				III. Should have one year Diploma/ Certificate in Data-Entry-Operator/Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry (Skill test shall be conducted for speed).	
2.	Assistant Grade-III	18 year	30 year (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	I. Should have passed Higher Secondary Examination or (10+2), or Passed old system Higher Secondary, with Ist year Graduation course from any recognised University.	
				II. Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute; and	
				III. Should have speed of data entry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing (Skill test shall be conducted for speed).	
3.	Driver/ Tractor Driver		—do—	I. Must have passed Class-VIII from any recognized Board.	
				II. Must also possess a valid driving license and experience of driving of Light Motor Vehicle/Tractor."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.